मंडल की 2.8.2018 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	85	मंडल की 2 जुलाई 2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	मंडल की 2.7.2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	86	ओल्ड कॉलनी, नाडकर्णी पार्क, वडाला (पूर्व) स्थित इमारत क्र.23 को गिराना.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
3.	87	गोपनीय	---	---
4.	88	निविदा क्र. सीडी -01/2008 - ओसीटी परियोजना के लिए मुंबई बंदर में प्रधान तलकर्षण के बीच पंचनिर्णय. मुंबई पोर्ट का न्यासी मंडल ....वादी और जैसू शिपिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड (जेएससीपीएल) ....प्रतिवादी	उपाध्यक्ष, श्री जे. एस. नेगी तथा श्री सुनिल राणे के अंतर्गत समिति का गठन करने के लिए अनुमोदन दिया गया है जो रिपोर्ट को अंतिम रुप देने के लिए मामले पर चर्चा करेगी और उसे अध्यक्षजी को प्रस्तुत करेगी तथा अध्यक्षजी समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये रिपोर्ट पर कार्यवाई करेंगे.	स्थापत्य
5.	89	"इंदिरा गोदी में 16-17 स्टोरेज यार्ड स्थित जल निकासी संवर्धन सहित डामर सामग्री की नई परत बिछाना." -प्राक्कलन सं. सीई.169/2017-18 को मंजूरी.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
6.	90	मुंबई बंदर में पडे भग्नावशेष जहाजों की निलामी.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का उप संरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	समुद्री
7.	91	पाँच वर्ष की अवधि के लिए 2 नग मूरिंग लाँचेस को किराये पर लेने के लिये लागत सं.डीसी-02/2018 को मंजूरी.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का उप संरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	समुद्री
8.	92	पिर पाव (पीपी) तथा जवाहर द्वीप (एमओटी-जेडी) स्थित विद्यमान अग्निशमन प्रणाली को दुरुस्त करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 तथा 7 का मुख्य यांत्रिकी अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
9.	93	दो वर्ष की अवधि के लिए सीजीएचएस, मुंबई शहर के प्रचलित दर पर उधार की सूविधाओं पर द्वीतीय और तृतीय देखभाल चिकित्सा मुहैया कराने हेतु, जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल में उपलब्ध नही है, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, कल्याण स्थित नेत्र चिकित्सालय की अधिक संख्या में नामिका तैयार करना.	अनुमोदित किया जाता है- 1. टिप्पणी के परिच्छेद 9 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है. 2. पैनल में शामिल अस्पतालों द्वारा मुंपोट्र के मरिजों को मुहैया किया जानेवाला उपचार/सेवाओं में निष्पक्षता तथा पैनल में शामिल अस्पतालों की साख जाँचने के लिए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, डॉ. इनिता मट्टा तथा दो बाहरी विशेषज्ञ, सलाहकार की संवीक्षा समिति का गठन.	चिकित्सा
10.	94	पारिश्रमिक बढाकर सलाहकार की सेवा का विस्तार.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का प्रस्ताव अनुमोदीत किया जाता है.	स्थापत्य
11.	95	1000 बिस्तरवाला अस्पताल तथा मेडिकल महाविद्यालय विकसित करने के विकल्प सहित 600 बिस्तरवाला सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल की स्थापना.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का एसएफसी के सिफारिशों पर आधारित प्रस्ताव में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दी गयी कार्योत्तर मंजूरी अनुमोदित की जाती है.	चिकित्सा
12.	96	संपदा अधिकारी समेत किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थिति तथा निवेदन प्रस्तुति के लिए अधिकार पत्र जारी करने हेतु अधिकारों का प्रत्यायोजन.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य विधि अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	विधि
13.	97	सीआइएसएफ को नये स्थान पर बसाने के लिए यंत्र भवन तथा मोबाइल क्रेन अनुभाग स्थित परिवर्तन. - लागत को मंजुरी.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
14.	98	एमडीएल को दीर्घ कालिन पट्टे पर मुंपोट्र वर्कशॉप तथा क्लार्क बेसिन क्षेत्र का आबंटन - एलएसी सिफारिशों को अनुमोदन.	1. टिप्पणी के परिच्छेद 6 (ए) तथा (बी) स्थित मुख्य यांत्रिकी अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है. 2. परिच्छेद 6 (सी) के संबध में, सर्वश्री सुधाकर अपराज तथा केरसी पारेख के साथ मामले पर वार्तालाप करने के लिए तथा निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष प्राधिकृत है.	यांत्रिकी
15.	99	भक्ति पार्क कॉम्पलेक्स के पास माहुल से मुंबई तक बीपीटी मार्ग से प्रवेश, भूखण्ड क्र. सीटीएस-1ए/11ई और 1ए/12, भक्ति पार्क, में प्रवेश हेतु 3 महिने के अवधि के लिए अस्थायी अनुमति का अनुरोध.	विचार - विमर्श स्थगित किया.	स्थापत्य
16.	100	निविदा सं.47ए/2017 - वर्ष 2017-18 और दो वर्ष अर्थात 2018-19 तथा 2019-20 के लिए पहुँच मार्ग, घुमाऊँ क्षेत्र, घाटों के बाहर, इंदिरा गोदी बेसिन, बंदर क्षेत्र तथा अवशेष तलकर्षण के लिए मुंबई पोर्ट के लंगरगाह में तलकर्षण रखरखाव - बोली मुल्य की स्वीकृति.	टिप्पणी के परिच्छेद 12 और 13 स्थित मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित है.	स्थापत्य
17.	101	दो वर्ष की अवधि के लिए सीजीएचएस, मुंबई शहर के प्रचलित दर पर उधार की सुविधाओं पर द्वीतीय और तृतीय देखभाल चिकित्सा मुहैया करने हेतु, जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल में उपलब्ध नही है, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, कल्याण स्थित नेत्र और दंत चिकित्सालय की अधिक संख्या में नामिका तैयार करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
18.	102	अभियांत्रिकी, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) ठेका आधार पर कान्होजी आंग्रे द्वीप, मुंबई पोर्ट स्थित पर्यटन परियोजना का विकास.	अनुमोदन दिया गया है - 1. टिप्पणी के परिच्छेद 12 के मुख्य अभियंता का प्रस्ताव. 2. उपरोलिखित परियोजना को सागरमाला के तहत संपूर्ण निधि के लिए अनुरोध.	स्थापत्य
19.	103	मुंपोट्र को तकनीकी परामर्श सेवाएँ, विद्युत नेटवर्क प्रणाली का प्रचालन तथा अनुरक्षण और ग्राहक उर्जा मीटरींग व बिलिंग सहायता हेतु पीटीसी इंडिया लि. (पीटीसी) की नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 15 पर स्थित मुख्य यांत्रिकी अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित है.	यांत्रिकी
20.	104	सरकारमान्य संस्थाओं/महाविद्यालयों से अग्निशमन पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र धारण करनेवाले विद्यार्थियों की मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में प्रशिक्षु फायरमेन के रुप में नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 3 तथा 4 में दिये गये उप संरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया जाता है तथा कर्मचारियों के पाल्यों को जो आवश्यक्ताएँ / अर्हताएँ पूरी करते हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाये.	समुद्री
21.	105	न्यासी संकल्प सं.222 वर्ष 2015 के ग्रे क्षेत्रों के संबंध में समिति की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 1.10.2012 से लागू किरायों में संशोधन तथा क्षतिपूर्ति के मासिक बिलों को वसूल करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 12 का संपदा प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	संपदा
22.	106	आयात बॅगों में पोतभार हेतु भंडारण सुविधाओं तथा रियायती भंडारण का 180 दिनों तक विस्तारण.	टिप्पणी के परिच्छेद 17 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
23.	107	निविदा सं. इ-148/2017 - "इविलिन हाऊस, अपोलो बंदर, कुलाबा, मुंबई का प्रचालन तथा प्रबंधन" - प्राक्कलन को मंजूरी.	टिप्पणी के परिच्छेद 3 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
24.	108	फेरी व्हार्फ से मांडवा, नेरुल, नवी मुंबई तक अंतर्देशीय जल यात्री परिवहन तथा रो-पॅक्स सेवा.	1. टिप्पणी के परिच्छेद 10(i) का उप संरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है. 2. परिच्छेद 10(ii) के प्रस्ताव के बारे में एक तरक्कीनुमा उपाय के रुप में तीन वर्ष की अवधि के लिए जहाज से संबंधित प्रभारों में छूट देने का निर्णय किया गया हैं.	समुद्री
25.	109	निविदा सं.इ.105/2017 - ससून गोदी, कुलाबा का घन कचरा प्रबंधन.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
26.	110	इंदिरा गोदी के अंदरुनी लॉक गेट के पश्चिमी द्वार के अन्तर्जलीय रोलर पाथ में बडी खराबी.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य